अखिल भारतीय कामगार महिला समन्वय समिति (सीटू)

पत्रिका

जुलाई 2010 | केवल सदस्यों के लिए | मूल्य 3 रूपए

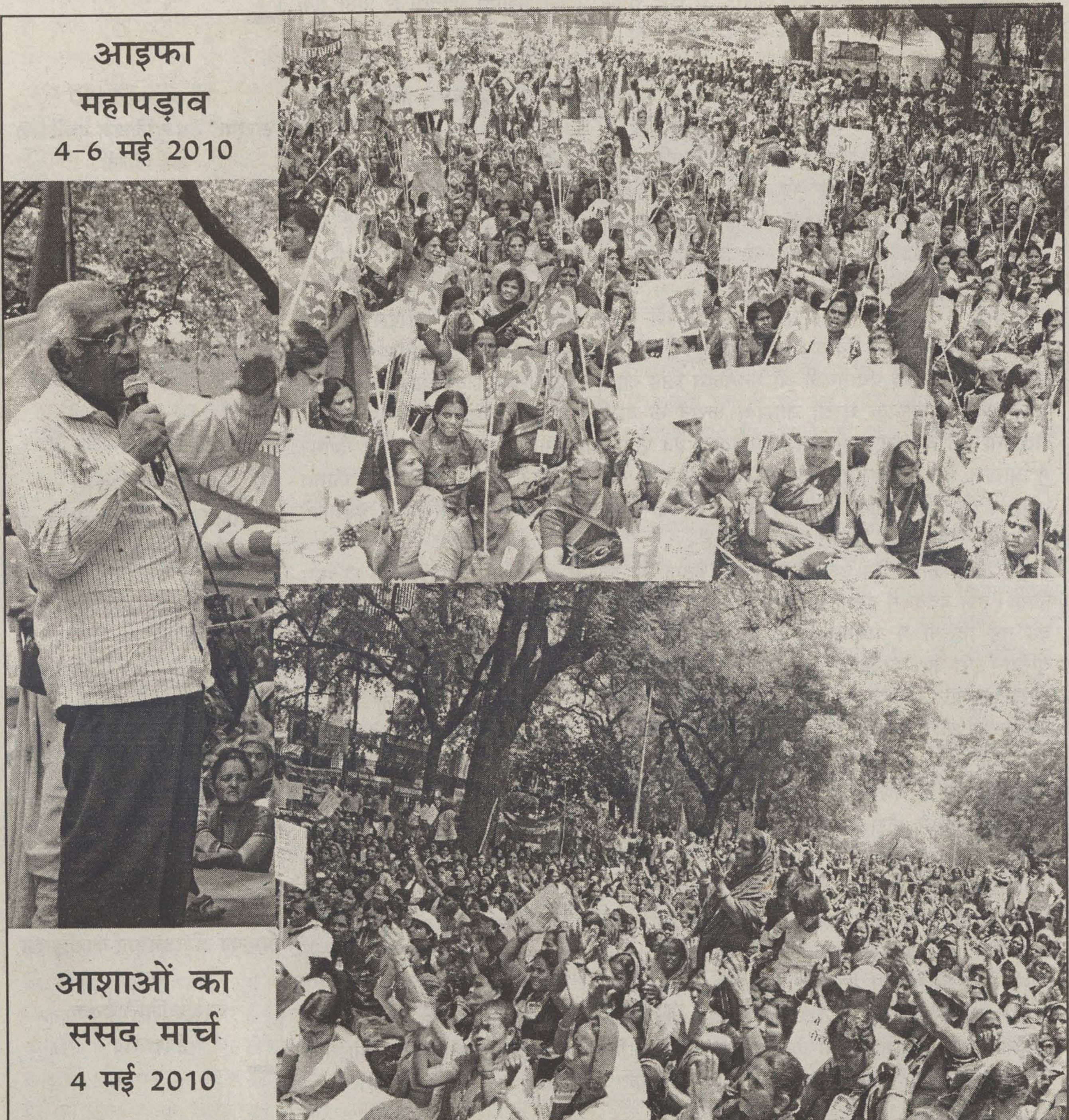

आइफा महापड़ाव
4-6 मई 2010

आशाओं का संसद मार्च
4 मई 2010

सितम्बर 2010 की अखिल भारतीय आम हड़ताल को सफल बनाओ

भारत के इतिहास में पहली बार, यूपीए–2 के शासन में छः महीने के भीतर पेट्रोल, डीज़ल और रसोई गैस के दामों में दो बार बढ़ोतरी की गई है। इस बार सरकार ने पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में बढ़ोतरी करके अपने अधिकारों का प्रयोग करके दिखाया है। इसका मतलब यह है कि तेल कंपनियों को आम आदमी की जेब लूटने के लिए तोहफे में दी गई है ताकि वे जब चाहे जहां चाहें आराम से लूट सकें। प्रत्येक व्यक्ति जानता है, यहां तक कि समर्थन सरकार के अर्थशास्त्री भी भली भांति जानते हैं कि कीमतों में वर्तमान वृद्धि और डीरेगुलेशन मनमोहन सरकार की ओर से मुकेश अंबानी और एस्सार को तोहफा ही है। यूपीए–2 सरकार सभी लाभ अर्जित करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को बड़े निगमों को तेजी बेचने की कबायद में लगी हुई है।

खाद्य पदार्थ 15 प्रतिशत महंगे हो गए है। श्रमिकों को वास्तविक मजदूरी घट गई है और कोई सामाजिक सुरक्षा लाभ भी उपलब्ध नहीं हैं। गरीबों को अनाज उपलब्ध कराने की बजाय यूपीए सरकार उनके राशन को 35 किलो से घटाकर 25 किलो कर रही है और कीमत 2रू से बढ़ाकर 3 रू कर रही है। आम आदमी शासकों की इस मनमानी सहने को अब तैयार नहीं हैं।

वाम दलों ने 5 जुलाई 2010 को पेट्रोलियम की कीमत वृद्धि के खिलाफ अखिल भारतीय हड़ताल का आहवान किया। सीआइटीयू ने भी इस हड़ताल को को समर्थन दिया। सरकार के स्वयं के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी द्वारा आंगनवाड़ी कर्मचारियों को वेतन वर्षद्धि और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के वायदे को पूरा न करने पर सरकार को चेतावनी देने के लिए आंगनवाड़ी सेविकाएं एवं सहायिकाएं भी 9 जुलाई 2010 को देशभर में अखिल भारतीय हड़ताल आयोजित करने जा रही हैं। हाल ही की पेट्रोल की कीमत वृद्धि ने तो उनके घावों पर जैस नमक छिड़कने का काम किया है, इससे इन हड़तालों को अपार सफलता मिलने के आसार हैं।

4 मई 2010 को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की बैठक हुई जिसमें इंटक और बीएमएस ने भी भाग लिया। इस बैठक में इनकी पांच मुख्य मांगों पर संघर्ष को जारी रखते हुए 15 जुलाई 2010 को नई दिल्ली में संयुक्त कन्वेंशन आयोजित करने का निर्णय लिया गया। सभी ट्रेड यूनियनें इस बात पर सहमत थीं कि यूपीए–2 सरकार देश के लाखों मजदूरों के प्रति कठोर रवैया अपनाए हुए है। यह अपनी नव उदारवादी नीतियों पर बेधड़क चलती जा रही है। वैश्वीकरण के दौर में महंगाई, श्रम कानूनों के हनन, बेरोजगारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का निजीकरण और राष्ट्रीय फंड को असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा के लिए उपलब्ध न कराने के खिलाफ संघर्ष और मजदूर वर्ग की एकता अद्वितीय रही है। ट्रेड यूनियनों ने फैंसला लिया है कि सितम्बर 2010 के प्रथम सप्ताह में एक अखिल भारतीय हड़ताल आयोजित की जाएगी, जिसकी तिथि कन्वेंशन में निर्धारित की जाएगी। यह रेखांकित करने योग्य है कि यूपीए–2 के काल के प्रथम वर्ष में कांग्रेस (आई) की ट्रेड यूनियनें भी अखिल भारतीय हड़ताल में शामिल होने को बाध्य हैं। दीवारों पर साफ–साफ लिखा है यदि सरकार सुनती है तो ठीक ...। अन्यथा इसका भी वही हाल होगा जो दूसरी जन विरोधी सरकारों का हुआ है।

सरकार की जनविरोधी नीतियों का मुहतोड़ जवाब देने के लिए हम आम मजदूर वर्ग और मुख्यतः कामकाजी महिलाओं का आहवान करते हैं कि सितम्बर 2010 की अखिल भारतीय आम हड़ताल को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोक दें। □

9 जुलाई 2010
आइफा
अखिल भारतीय हड़ताल

15 जुलाई 2010
संयुक्त ट्रेड यूनियन कन्वेंशन
नई दिल्ली

15–17 जुलाई 2010
सीआइटीयू कार्यसमिति बैठक
नई दिल्ली

18 जुलाई 2010
आइफा हिन्दी राज्यों की बैठक
नई दिल्ली

3–4 अगस्त 2010
अखिल भारतीय कामगार महिला समन्वय समिति बैठक
हैदराबाद

29–31 अगस्त 2010
आइफा संगठन पर कार्यशाला
एवं
कार्यसमिति बैठक
हैदराबाद

आंगनवाड़ी कर्मचारियों का महापड़ाव

□ हेमलता

आंगनवाड़ी कर्मचारियों की ओरं से 4–5 मई को नयी दिल्ली में महापड़ाव का आयोजन किया गया। यह महापड़ाव वास्तव में उत्साह से भरा एक अनुभव था। अखिल भारतीय आंगनवाड़ी सेविका व सहायिका फैडरेशन (आइफा) के आह्वान पर आयोजित इस आंदोलन में हिस्सा लेने के माध्यम से अपनी प्रमुख मांगों को लेकर आवाज उठाने के लिए, देष के 18 राज्यों से लगभग 20 हजार आंगनवाड़ी सेविकाएं व सहायिकाएं राजधानी के बीचों–बीच स्थित, जंतर–मंतर पर एकत्र हुए। इस तरह 4 मई को सुबह से ही आंगनवाड़ी कर्मचारियों का महापड़ाव शुरू हो गया।

उत्साह और संकल्प

याद रहे कि यह वह दौर था, जब दिल्ली में आतंकवादी खतरे की खबरों को देखते हुए, अधिकतम चौकसी की डरावनी व्यवस्थाएं लागू हो रही थीं और देश भर में टेलीविजन के जरिए इसकी खबर पहुंच रही थी। यह वह समय भी था जब देश के अनेक हिस्सों में चल रही गर्मी की लहर अपने शिखर पर थी। इन परिस्थितियों में लम्बी–लम्बी दूरियां तय करके दिल्ली पहुंचना आसान नहीं था। लेकिन, इन सभी कठिनाईयों से भी आंगनवाडी कर्मचारियों के हौंसले कमजोर नहीं हुए और वे किसी तरह 4 मई की सुबह तक दिल्ली पहुंच ही गईं।

उधर जंतर–मंतर के निकट जिस जगह महापड़ाव होना था, उसके नजदीक ही नहीं काफी दूर तक, सड़क के दोनों ओर की पटरियों को कामन वेल्थ खेलों की तैयारियों के हिस्से के तौर पर, नवीनीकरण के लिए दिल्ली सरकार ने खुदवा कर मलबे डाल रखे थे। इस तरह, सत्याग्रही आंगनवाड़ी कर्मचारियों के लिए बैठने, सुसताने और आंख मूंदने के लिए कोई जगह ही नहीं रह गई थी। इसके बावजूद, मजाल है जो किसी ने शिकायत की हो। जबरदस्त सहनशक्ति तथा ध ीरज का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने पटरियों की खुदाई से निकले मलबे और नयी पटरी बनाने के लिए डाली गई पटियों के बीच ही अपने बैठने से लेकर आराम तक करने की जगह बना ली। उन्होंने पूरे दिन वहीं जमे रह कर, अपनी मांगों के पक्ष में उत्साह के साथ नारे लगाए और अपनी मांगों पर सरकार का कोई जवाब आने की प्रतीक्षा भी करती रहीं। फिर रात को वे सड़क पर ही सो गईं और अगली सुबह जल्दी उठीं और उसके बाद फिर नारों का वही सिलसिला शुरू हो गया।

आंगनवाड़ी कर्मचारियों की मांगें साधारण सी हैं। आंगनवाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं, जो समेकित बाल विकास सेवाएं योजना (आइसीडीएस) के साधारण जनता के बीच काम करने वाले कर्मचारी हैं, को समुचित भरण–पोषण का अधिकार होना चाहिए। याद रहे, कि आइसीडीएस, बच्चों के समग्र विकास के लिए, जो कि भविष्य के नागरिक हैं, दुनिया का सबसे बड़ा और हमारे देश का अपनी तरह का इकलौता, प्रतिष्ठा सम्पन्न कार्यक्रम है। लेकिन, देश के पूरे 16 करोड़ 40 लाख बच्चों का ख्याल रखने वाली आंगनवाड़ी कर्मचारियों को ही कंगाल बना कर छोड़ दिया गया है।

उचित मांगें किन्तु सुनवाई नहीं

आंगनवाड़ी कर्मचारियों की तात्कालिक मांगों में निम्नलिखित मांगें शामिल हैं: 58 वर्ष की आयु पर पहुंचने पर बिना एक पैसा दिए सेवानिवृत्त की जा रही आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए 1 लाख रुपए और सहायिकाओं के लिए 50 हजार रुपए ग्रेच्युटी का भुगतान; एक पेन्शन योजना का सूत्रीकरण ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन महिला आंगनवाड़ी कर्मचारियों को वृद्धावस्था में भूखों न मरना पड़े; सभी आवश्यक वस्तुओं, विशेष तौर पर खाने–पीने

की चीजों की कीमतों में अभूतपूर्व बढ़ोतरी को देखते हुए, उन्हें अब तक मिल रहे मामूली पारिश्रमिक में तुरंत बढ़ोतरी की जाए; उन्हें मिलने वाले पारिश्रमिक अर्थात् मानदेय को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ जोड़ा जाए; और आइसीडीएस का निजीकरण करने की कोशिशों को वापस लिया जाए।

अखिल भारतीय आंगनवाड़ी सेविका व सहायिका फैडरेशन (आइफा) ने इन मांगों को लेकर सरकार को कई ज्ञापन दिए थे। वर्तमान महिला व बाल कल्याण मंत्री कृष्णा तीर्थ सहित इस विभाग में पिछले अनेक वर्षों में आए सभी केन्द्रीय मंत्रियों ने और डॉक्टर मनमोहन सिंह सहित विभिन्न प्रधान मंत्रियों ने, जिनसे आंगनवाड़ी कर्मचारियों की फैडरेशन के प्रतिनिधिमण्डलों ने भेंट की थी, यह स्वीकार किया था कि फैडरेशन द्वारा उठाई जा रही मांगें उचित थीं और यह आश्वासन भी दिया था कि सरकार, ये मांगें पूरी करने की हर सम्भव कोशिश करेगी।

उदाहरण के लिए वर्ष 2006 में जब सीपीआइ(एम) नेता व सांसद सीताराम येचुरी के साथ आंगनवाड़ी कर्मचारियों की फैडरेशन के प्रतिनिधिमण्डल ने प्रधान मंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह से मुलाकात की थी, उन्होंनें यह माना था कि 58–60 वर्ष की आयु के हो गए आंगनवाड़ी कर्मचारियों को कोई भी मुआवज़ा दिए बिना ही काम से न हटा दिया जाए। प्रधान मंत्री ने यह भरोसा दिलाया था कि सरकार उन्हें, खुद डॉ0 सिंह के ही शब्दों में एक *"विदाई उपहार"* देने पर विचार कर रही थी। लेकिन, उस आश्वासन के बाद लगभग चार बरस बीच चुके हैं, अब तक तो कुछ नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि इस अवधि में हजारों की संख्या में आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को, जिन्हें वैसे भी सरकार अपने कर्मचारी तो मानती ही नहीं है, बिना एक भी पैसा दिए ही सेवा से निवृत्ति दी जा चुकी है।

संसदीय सिफारिश पर कार्रवाई नहीं

इसी प्रकार वर्ष 2006 में राज्य सभा की याचिकाओं से सम्बन्धित समिति ने, आंगनवाड़ी कर्मचारी फैडरेशन की अपील पर विचार करने के बाद यह सिफारिश की थी कि, "महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा एक स्थायी व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि प्रत्येक 3–4 वर्ष पर मानदेय की दर में परिवर्तन किया जा सके और यह मुद्रास्फीति की चालू दर के अनुरूप किया जाना चाहिए। "उक्त सिफारिश आने के बाद यूपीए सरकार ने पारिश्रमिक की दर में नाम मात्र की बढ़ोतरी की थी। लेकिन, उसके बाद से मुद्रास्फीति बहुत बढ़ गई है और खाद्य मुद्रास्फीति 17 प्रतिशत के स्तर पर चल रही है, इसके बावजूद और बार–बार इसके लिए प्रार्थना किए जाने के बावजूद, सरकार ने आंगनवाड़ी कर्मचारियों को कोई राहत देने की परवाह ही नहीं की है।

इसी तरह, याचिकाओं से सम्बन्धित उसी समिति ने यह भी दर्ज किया था कि निश्चित रूप से यह *"जरूरी है (कि आंगनवाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं के लिए) न्यूनतम मजदूरी जैसी कोई चीज न हो, विशेष तौर पर अब जबकि उनके काम का बोझ कई गुणा बढ़ गया है और राज्य सरकारें भी उनकी सेवाओं का उपयोग कर रही हैं।"* आज स्थिति यह है कि केन्द्र सरकार आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए 1500 रुपए तथा सहायिकाओं के लिए 750 रुपए महीना देती है, जो कुशल तथा अर्द्ध–कुशल मजदूरों को दी जा रही न्यूनतम मजदूरी के चौथाई भाग से भी कम है। यह तब है जबकि उनके काम के घण्टों तथा काम के बोझ में भारी बढ़ोतरी हो गई है। अब समेकित बाल विकास कार्यक्रम (आइसीडीएस) के अन्तर्गत किशोरियों के लिए राजीव गांधी योजना को भी शामिल कर लिया गया है।

इस तरह, यद्यपि सरकार स्वयं आंगनवाड़ी कर्मचारियों की मांगों को उचित मानने के लिए विवश है, फिर भी इन मांगों के प्रति उसका रुख पूरी तरह से उदासीनता पूर्ण व असंवेदनशील रहा है। स्वाभाविक रूप से इस पर आंगनवाड़ी कर्मचारियों के बीच भारी विक्षोभ है। इसलिए, अचरज नहीं कि अखिल भारतीय आंगनवाड़ी सेविका व सहायिका फैडरेशन (आइफा) के *"महापड़ाव"* आयोजित करने के आह्वान का उन्होंने बढ़ चढ़ कर समर्थन किया।

प्रधान मंत्री का आश्वासन

महापड़ाव के दौरान ही 5 मई को सांसदगण सीताराम येचुरी व तपन सेन के साथ, आंगनवाड़ी कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमण्डल ने प्रधान मंत्री के कार्यालय में जाकर उनसे मुलाकात की और उन्हें याद दिलाया कि चार साल पहले उन्होंने जो आश्वासन दिया था, वह अब तक पूरा नहीं हुआ है। प्रतिनिधिमण्डल में फैडरेशन की अध्यक्ष नीलिमा मैत्र, महासचिव के हेमलता, कोषाध्यक्ष सरोज शर्मा और सचिवगण ए आर सिंधु व उषा रानी शामिल थीं। प्रतिनिधिमण्डल से बातचीत के क्रम में प्रधान मंत्री ने अपनी यह राय दोहराई कि उनके विचार से आइसीडीएस कार्यक्रम बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है और आंगनवाड़ी सेविकाएं व सहायिकाएं सराहनीय काम कर रही हैं। प्रधान मंत्री ने प्रतिनिधिमण्डल को एक बार फिर आश्वासन दिया कि वह प्रस्तावों से जुड़े वित्तीय पहलुओं पर वित्त मंत्री के साथ चर्चा करने के बाद, जो भी करना सम्भव होगा वह जरूर करेंगे। प्रधान मंत्री ने सीताराम येचुरी के इस सुझाव की भी प्रशंसा की कि पूर्व–स्कूल शिक्षा उपलब्ध कराने वाले आंगनवाड़ी

केन्द्रों को प्राइमरी स्कूलों से जोड़ दिया जाए और छः वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया जाए।

सीताराम येचुरी ने, प्रधान मंत्री के साथ प्रतिनिधिमण्डल की मुलाकात के बाद आंगनवाड़ी कर्मचारियों के महापड़ाव को भी सम्बोधित किया, आंगनवाड़ी कर्मचारियों को उनके बहादुरीपूर्ण संघर्ष के लिए बधाई दी और प्रधान मंत्री के आश्वासन की जानकारी दी। येचुरी ने आंदोलनकारियों को भरोसा दिलाया कि संसद में तथा संसद के बाहर भी, वह स्वयं तथा उनकी पार्टी सीपीआइ(एम) आंगनवाड़ी कर्मचारियों की उचित मांगों को समर्थन देते रहेंगे और वह उनकी मांगों को सरकार के सामने उठाते रहेंगे। दूसरी ओर, येचुरी आंगनवाड़ी कर्मचारियों को आह्वान किया कि वे सतर्कता बनाए रखें और अगर सरकार अपने आश्वासन पूरे नहीं करती है तो, आगे भी संघर्ष जारी रखने के लिए तैयार रहें।

हड़ताल की तैयारी करें

बहरहाल, दो दिन तक महापड़ाव में जंतर–मंतर पर जमे रहे आंगनवाड़ी कर्मचारियों को अपनी मांगों पर सरकार के गोल–मोल आश्वासन ने निराश ही किया। इसी पृष्ठभूमि में अखिल भारतीय आंगनवाड़ी सेविका व सहायिका फैडरेशन (आइफा) ने तय किया है कि अगर सरकार इन मांगों के सम्बन्ध में जुलाई तक कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो उस स्थिति में जुलाई के महीने में ही आंगनवाड़ी कर्मचारियों की अखिल भारतीय हड़ताल होगी। महापड़ाव में जुटीं हजारों आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने हड़ताल के फैसले का जबरदस्त उत्साह के साथ समर्थन किया। फैडरेशन की महासचिव के हेमलता ने सत्याग्रह में शामिल हुए लोगों का आह्वान किया कि अपने–अपने आंगनवाड़ी केन्द्र में लौटने के साथ ही, प्रस्तावित हड़ताल के लिए प्रचार अभियान में जुट जाएं। उन्होंने आह्वान किया कि महापड़ाव का संदेश देश भर में प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र तक तथा प्रत्येक आंगनवाड़ी कर्मचारी तक पहुंचाएं और इस तरह यह पक्का करें कि अगर सरकार अपने आश्वासन पूरा करने में हील–हवाला करना जारी रखती है तो पूरे 20 लाख आंगनवाड़ी कर्मचारी देशव्यापी हड़ताल करेंगे। **अखिल भारतीय हड़ताल** के लिए **9 जुलाई 2010** की तारीख तय की गई है।

आंगनवाड़ी कर्मचारी फैडरेशन की अध्यक्ष नीलिमा मैत्र ने महापड़ाव की अध्यक्षता की। सीआइटीयू के उपाध्यक्ष एम के पन्धे ने महापड़ाव का उद्घाटन किया। सीआइटीयू के अध्यक्ष ए के पद्मनाभन, महासचिव तपन सेन, सीआइटीयू उपाध्यक्षगण मोहम्मद अमीन, कनाई बनर्जी तथा श्यामल चक्रवर्ती, सीआइटीयू सचिवगण दीपंकर मुखर्जी तथा स्वदेश देवराय और सीआइटीयू के दूसरे अनेक नेताओं ने भी महापड़ाव में शामिल आंगनवाड़ी कर्मचारियों को सम्बोधित किया।

सांसद व सीपीआइ(एम) पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात ने महापड़ाव में शामिल आंगनवाड़ी कर्मचारियों का अभिनंदन किया और उनकी उचित मांगों की अनदेखी करने के लिए सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने आंगनवाड़ी कर्मचारियों की मांगों को संसद में निरंतर उठाते रहने का आश्वासन भी दिया। लोक सभा में सीपीआइ(एम) ग्रुप के नेता बासुदेव आचार्य और दूसरे अनेक वामपंथी सांसद भी महापड़ाव में आए, उन्होंने आंदोलनकारी आंगनवाड़ी कर्मचारियों को अपनी शुभकामनाएं दीं और उनके संघर्ष के लिए अपने समर्थन का एलान किया।

केरल की एलडीएफ सरकार के शिक्षा मंत्री एम ए बेबी तथा वित्त मंत्री थॉमस आइज़ैक ने भी दृढ़ निश्चयी संघर्ष के लिए आंगनवाड़ी कर्मचारियों को बधाई दी और उनकी मांगों को समर्थन दिया। थॉमस आइज़ैक ने यह जानकारी भी दी कि केरल की एलडीएफ सरकार ने आंगनवाड़ी कर्मचारियों को पेन्शन देने तथा इस सम्बन्ध में आवश्यक सरकारी आदेश जारी करने का भी फैसला लिया है। लेकिन, कांग्रेस के नजदीक माने जाने वाले कुछ निहित स्वार्थ इस निर्णय के पालन की राह में रोड़े अटका रहे हैं। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि जब केरल की एलडीएफ सरकार अपने बहुत ही सीमित साधनों के बावजूद आंगनवाड़ी कर्मचारियों के लिए पेन्शन लाभों की व्यवस्था कर सकती है तो केन्द्र सरकार ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं कर सकती? □

आशा कार्यकर्ताओं का संसद के आगे विशाल मार्च

□रंजना निरूला

सूरज आग बरसा रहा था, फिर भी उनके रेले दर रेले चले आ रहे थे। उनमें से अनेक गोद में अपने बच्चों को लिए चल रहीं थीं। लेकिन 40 डिगरी से ऊपर तापमान और बढ़ता पसीना भी उन्हें रोक नहीं पा रहा था। वे नारे बुलंद कर रहीं थीं– *"हम दूसरों का ख्याल रखते हैं, हमारा ख्याल कौन रखेगा?"* राजधानी दिल्ली के हृदयस्थल संसद मार्ग पर उस दिन उत्तर में जम्मू–कश्मीर, उत्तराखण्ड तथा हरियाणा से लेकर दक्षिण में केरल तथा आंध्र प्रदेश और पूर्व में उड़ीसा से लेकर पश्चिम में महाराष्ट्र तथा राजस्थान तक देश के दस राज्यों से आई लगभग सात हजार आशा (एएसएचए) कार्यकर्ताओं का ही रेला था। जाहिर है, उनमें देश के दो सबसे बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश तथा बिहार से आई आशा कार्यकर्ता भी शामिल थीं।

ये आशा कार्यकर्ता गत 4 मई को दिल्ली आई थीं, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ आशाज़ के बैनर तले संसद पर मार्च करने के लिए और सरकार को यह बताने के लिए कि नव–प्रसूताओं तथा नवजातों के जीवन की रक्षा करने का जो मूल्यवान काम वे करती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सम्बन्धी मुद्दों पर जो जागरूकता वे फैलाती हैं और गरीबों तथा स्वास्थ्य सेवाओं के बीच जिस तरह कड़ी के रूप में वे काम करती हैं, उसे समुचित मान्यता दी जानी चाहिए और उसकी समुचित भरपाई भी की जानी चाहिए।

वे उस अपमान का विरोध करने के लिए आई थीं जो प्रशासन तथा स्वास्थ्य केन्द्रों के मेडिकल स्टाफ और पंचायत सदस्यों के हाथों उन्हें रोज सहना पड़ता है। वे उस मामूली सी रकम के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए आई थीं, जो उनके काम के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में उन्हें मिलती है और वह भी अनियमित तौर पर तथा काफी परेशानियां झेलने के बाद मिलती है। यह विरोध दर्ज कराते हुए वे यह मांग कर रहीं थीं कि उन्हें न्यूनतम वेतन दिया जाए। वे यह मांग करने आई थीं कि उन्हें काम की बेहतर स्थितियां उपलब्ध कराई जाएं और गरिमा तथा सम्मान के साथ काम करने का अधिकार दिया जाए। उन्होंने दिल से अपनी बात कही। बेशक उनकी बातों में उनका रोष भी सामने आ रहा था। खास तौर पर उन मुश्किलों के लिए जिनका सामना उन्हें अपने काम के दौरान अपने गावों में करना पड़ता है। लेकिन साथ ही गरीबों की मदद की उनकी इच्छा भी सामने आ रही थी, खास तौर पर महिलाओं और बच्चों की मदद की इच्छा।

संसद पर आशा कार्यकर्ताओं के धरने को सीआइटीयू के नेताओं–अध्यक्ष ए के पद्मनाभन, महासचिव तपन सेन, उपाध्यक्ष एम के पन्धे और सचिव एस देवराय ने सम्बोधित किया। इन सभी वक्ताओं का कहना था कि आशा कार्यकर्ता जो काम कर रही हैं, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज जरूरत इस बात की है कि उन्हें मजदूरों के रूप में मान्यता दी जाए। उनका कहना था कि अपने संगठन और संघर्ष के जरिए ही

आशा कार्यकर्ता अपनी मांगें हासिल कर सकती हैं। सीआइटीयू कार्य समिति की सदस्य ए आर सिंधु का कहना था कि सरकार स्वास्थ्य तथा पोषाहार मजदूरों को आशा, ए एन एम और आंगनवाड़ी आदि के नाम पर विभाजित करने की कोशिश कर रही है ताकि अपनी साझा मांगों के लिए एकजुट होने से उन्हें रोका जा सके।

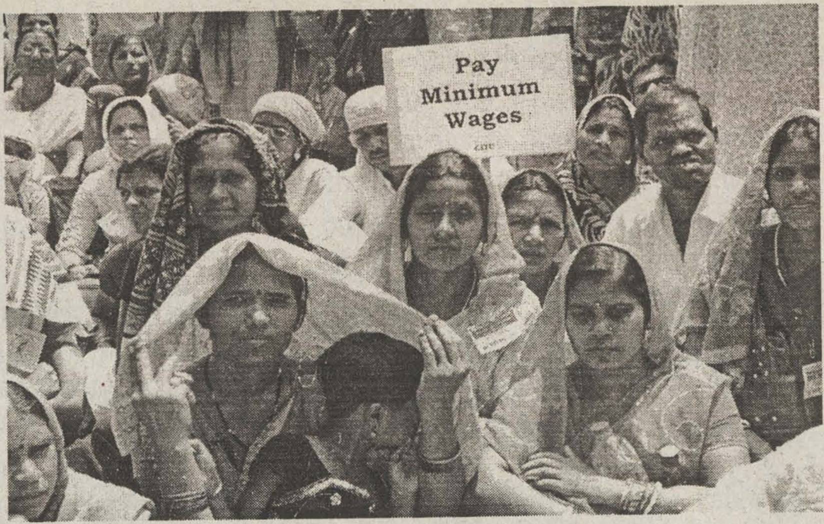

आशा कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए सीपीआइ(एम) पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा कारात ने जोशीला भाषण दिया। उनका कहना था कि सरकार यह दलील दे रही है कि आशा कार्यकर्ताओं का काम अंशकालिक है और इसलिए इसे पूरावक्ती रोजगार नहीं माना जा सकता। वृंदा कारात का कहना था कि संसदीय समितियों की यह सिफारिश है कि आशा कार्यकर्ताओं को मासिक पारिश्रमिक दिया जाए। इसके बावजूद यूपीए सरकार ऐसा नहीं करना चाहती। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की महासचिव सुधा सुन्दर रमण, अखिल भारतीय किसान सभा के वित्त सचिव कामरेड नुरूल हुदा और दूसरे नेताओं ने भी प्रदर्शनकारियों का अभिनंदन किया और अपने समर्थन के लिए उन्हें आश्वासन दिया। बाद में रंजना निरूला, वी वी प्रसन्न कुमारी (केरल), सूर्यवर्ती (आंध्र प्रदेष), बनवासिनी (उड़ीसा) और मंजुला (बिहार) पर आधारित एक प्रतिनिधिमण्डल ने सीपीआइ(एम) सांसदों रामचन्द्र डोम, टी एन सीमा तथा खगेन दास के नेतृत्व में केन्द्रीय केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद को मिला और उन्हें एक ज्ञापन दिया।

याद रहे, जनवरी 2009 में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि आशा कार्यकर्ताओं को 500 रुपए महीना पारिश्रमिक दिया जाएगा। लेकिन, अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है। अब मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए तय मासिक पारिश्रमिक पर विचार करने से सीधे सीधे इन्कार कर दिया है जबकि उन्हें यह भी बताया गया था कि पश्चिम बंगाल तथा राजस्थान में प्रोत्साहन राशि के अलावा उन्हें क्रमवार 800 और 950 रुपए प्रति मास दिया जा रहा है। साफ है कि यह सरकार आम आदमी के साथ हमदर्दी की सिर्फ बातें करती है। यह संसाधनों की कमी का रोना रोती है और उन लोगों को केवल एक मामूली–सी राशि ही देती है जिनका काम और योगदान गरीबों के स्वास्थ्य के मामले में बेहद महत्वपूर्ण है, जबकि कारपोरेट सेक्टर को यह लाखों करोड़ रुपए की रियायतें देती है।

कोई 7.89 आशा कार्यकर्ता, वर्ष 2005 में शुरू हुए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) नामक सरकार के फलैगशिप कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनके अनथक प्रयासों का ही परिणाम है कि जच्चाओं की मृत्यु दर और नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में कमी आई है और संस्थागत जचगी में इजाफा हुआ है। आशा कार्यकर्ताओं ने ही इसकी राह हमवार की है। सरकार आशा कार्यकर्ताओं को वालंटियर या सामाजिक कार्यकर्ता समझती है, जो मामूली सी रकम के लिए ''सामाजिक सेवा'' कर रही हैं। सरकार को लगता है कि वे किसी दूसरे रोजगर या आय सृजन की गतिविधियों में लगी हुई हैं और यह काम वे अंशकालिक कर रही हैं। यह कितना असत्य है इसका अंदाजा इसी बात से हो जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के कोई अवसर ही नहीं हैं और वास्तव में आशा कार्यकर्ताओं को दिन में कम से कम 5–6 घण्टे काम करना पड़ता है। उन्हें अपने सारे काम निपटाने पड़ते हैं, उन्हें दूर–दराज के क्षेत्रों और विशेष तौर पर आदिवासी क्षेत्रों की यात्राएं करनी पड़ती हैं और गर्भवती महिलाओं के लिए उन्हें सातों दिन चौबिसों घण्टे तैयार रहना पड़ता है। इसके बावजूद महामारियों के दौरान या सर्वे आदि करने के लिए उन पर काम का अतिरिक्त बोझ लाद दिया जाता है। उनके काम को कोई मान्यता नहीं मिलती क्योंकि इसे उनके घरेलू काम का ही हिस्सा माना जाता है और समाज में उनका कोई मूल्य नहीं। करीब 15 महीने पहले ही फरवरी 2009 में सीआइटीयू ने दिल्ली में आशा कार्यकर्ताओं की एक कन्वेंशन का आयोजन किया था, जिसमें करीब 900 आशा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था। इस कन्वेंशन में सीआइटीयू ने आशा कार्यकर्ताओं को संगठित करने का निर्णय लिया था। उनके काम की स्थितियां बहुत दयनीय हैं और उनका भारी शोषण होता है। इस छोटी–सी अवधि में आशा कार्यकर्ताओं ने ग्यारह राज्यों में अपनी यूनियनों का

गठन किया है, जिनकी सदस्यता करीब 42,000 है और वे अपनी मांगों के लिए निरंतर संघर्ष कर रही हैं।

आशा कार्यकर्ताओं की आल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आशा कार्यकर्ताओं की यूनियनों को और मजबूत करने और अपनी मांगों के लिए राज्यों में संघर्षो को तेज करने का निर्णय लिया है। पूरा जोर इस बात पर रहेगा कि कि पश्चिम बंगाल तथा राजस्थान की तर्ज पर उन्हें मासिक पारिश्रमिक दिया जाए।

आशा कार्यकर्ताओं की मांगें

1. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) को स्थायी कार्यक्रम बनाया जाए।
2. आशा कार्यकर्ताओं को स्थायी ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के रूप में नियमित किया जाए।
3. उन्हें मासिक पारिश्रमिक दिया जाए और न्यूनतम वेतन कानून के अनुसार बकाए का भुगतान किया जाए।
4. तमाम प्रोत्साहन राशि नियमित और व्यक्तिगत बैंक खातों के जरिए अदा की जाए।
5. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और अस्पतालों आदि में आशा कार्यकर्ताओं को कमरे उपलब्ध कराए जाएं।
6. मेडिकल किट और समुचित दवाएं उपलब्ध कराई जाएं।
7. साल में दो यूनिफार्म, पहचान पत्र और बैज आशा कार्यकर्ताओं को दिएं जाएं।
8. सभी आशा कार्यकर्ताओं को बीपीएल कार्ड उपलब्ध कराए जाएं।
9. आशा कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य बीमा तथा सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान किया जाए।
10. स्वास्थ्य तथा प्रशासनिक स्टाफ द्वारा आशा कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न बंद किया जाए।
11. आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाए और प्राथमिकता के आधार पर पदोन्नति देकर उन्हें एएनएम का दर्जा दिया जाए।

अखिल भारतीय आशा समन्वय समिति (एआईसीसीए) की बैठक

अखिल भारतीय आशा समन्वय समिति (एआईसीसीए) की बैठक बी टी आर भवन, नई दिल्ली में 5 मई, 2010 को आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता प्रसेन्न कुमारी जोकि केरल में आशा यूनियन की अध्यक्ष हैं, द्वारा की गई। बैठक में 6 राज्यों प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मंजुला और अरुण सिंह बिहार से, सुरेखा और जय भगवान हरियाणा से, आर आर सारंगी उड़ीसा से, वीना गुप्ता उत्तर प्रदेष से, और उत्तराखंड से बीरेंद्र भंडारी ने इस बैठक में भाग लिया। संयोजिका, रंजना नरूला, ने 4 मई के ''संसद मार्च'' में आकर्षक लामबंदी के लिए राज्यों को बधाई देते हुए कहा कि यह लामबंदी मार्च माह में चंडीगढ़ बैठक में लिए कोटे से कहीं अधिक थी। संसद मार्च में भाग लेने वाले प्रतिनिधि काफी उत्साहित थे। उन्होंने कार्यक्रम की व्यवस्था में उजागर हुई कुछ कमजोरियों को भी रेखांकित किया। उन्होने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री गुलाम नबी आज़ाद के साथ प्रतिनिधिमंडल की बैठक के बारे में बताया के मंत्री जी मुंह से आशा कार्यकर्ताओं के प्रति सहानुभूति जता रहे थे परन्तु आशा कार्यकर्ताओं के लिए मासिक वेतन पर विचार करने से इन्कार करने पर अटल थे। इसके बजाय उन्होंने प्रस्ताव रखा कि आशा कार्यकर्ताओं का काम बढ़ाया जाएगा जिसके लिए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी जैसे – एचआईवी/एड्स से बचाव के लिए कंडोम की बिक्री के लिए प्रति कंडोम 40 पैसे प्रोत्साहन राशि। उनकी इस बात का प्रतिनिधिमंडल ने कड़ा विरोध किया। बैठक में रिपोर्ट किया गया कि 30 मार्च को आशा मांग दिवस उत्तर प्रदेश में 6 जिलों में, हरियाणा में 13 जिलों में, उड़ीसा में 3 जिलों में, उत्तराखंड में 1 जिला और केरल में 10 जिलों में मनाया गया।

राज्यों में संगठन की स्थिति पर चर्चा के बाद समिति को अगले तीन महीनों के लिए निम्नलिखित कार्य करने का निर्णय लिया गया

1. राज्य संगठनों को मजबूत बनाने का काम किया जाए
2. नवम्बर 2009 में लिए गए कोटे के अनुसार वर्ष 2010 के लिए सदस्यता की जाए
3. आशा कार्यकर्ताओं की स्थानीय मांगों पर संघर्ष व आंदोलन शुरू किया जाए। विशेषतः पश्चिम बंगाल और राजस्थान की तर्ज पर मासिक वेतन की मांग पर ध्यान केंद्रित किया जाए
4. राज्यों में आशा कार्यकर्ताओं के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए एक सर्वेक्षण करें कि क्या आशा कार्यकर्ताओं की कोई अन्य आय सष्जन गतिविधियों हैं, काम के घंटे और अवैतनिक काम जो वे करती हैं। एक प्रश्नावली (केंद्र द्वारा तैयार) की कम से कम 100 प्रतियां प्रत्येक राज्य में भरी जाएं और 15 जुलाई 2010 से केन्द्र को भेजी जाएं।
5. राज्यों में, जहां भी अभी तक यूनियन का पंजीकरण नहीं किया गया है, पंजीकरण प्रक्रिया जारी रखी जाए।

अखिल भारतीय मिड डे मील वर्कर्स कोर्डिनेशन कमेटी

अखिल भारतीय मिड डे मील वर्कर्स कोर्डिनेशन कमेटी (एआईसीसीएमडीएमडब्ल्यू) की बैठक 7 मई 2010 को बीटीआर भवन नई दिल्ली में हुई। बैठक में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल और उड़ीसा के साथियों ने भाग लिया। केरल की महासचिव सरस्वती अम्मा ने बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में पिछली बैठक के निर्णयों की समीक्षा की गई। सीआइटीयू के महासचिव व सांसद तपन सेन तथा सचिव हेमलता के नेतृत्व में जगतराम, छविराम (हिमाचल प्रदेश), जय भगवान, शीला सैनी और शिव प्रसाद (हरियाणा) एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमति पूरंदेंश्वरी से 28 अप्रैल 2010 को मिले। मंत्री ने कहा कि इस योजना के क्रियान्वन की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकारों के पास है, इसलिए वे छंटनी व स्वयं सहायता समूहों को यह योजना सौंपने के बारे में कुछ नहीं कर सकतीं। परन्तु उन्होंने विश्वास दिलाया कि वे आइसकॉन के विरूद्ध आरोपों के बारे में हस्तक्षेप अवश्य करेंगी।

बैठक में वर्तमान स्थिति व इस योजना के पूरे निजीकरण पर गौर किया गया। साथ ही साथ विभिन्न राज्यों में संगठन की वर्तमान स्थिति का भी जायज़ा लिया गया।

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए–

1. निजीकरण और छंटनी के खिलाफ और वेतन वृद्धि, सवेतन छुट्टी तथा समय पर वेतन भुगतान जैसी अन्य स्थानीय मांगों पर जुलाई–अगस्त 2010 में राज्य स्तरीय प्रद□न

2. अखिल भारतीय मांगों पर एक अभियान जिसका समापन नवम्बर 2010 में संसद के भीतकालीन सत्र के दौरान संसद मार्च के रूप होगा

3. सीटू के राज्य समितियों में जहां मध्याह्न भोजन श्रमिकों को अभी तक संगठित नहीं किया गया है, के लिए एक समय सीमा के भीतर संगठित करने का अनुरोध

4. 2010 में एक लाख सदस्यता तक पहुंचने के लिए राज्य समितियों द्वारा लिए गए कोटे के अनुसार सदस्यता करना

5. मध्याह्न भोजन योजना और संगठनात्मक स्थिति के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए राज्यों को एक प्र□नावली भेजी जाएगी।

हरियाणाः मिड डे मील योजना के ठेकाकारण के खिलाफ जारी है संघर्ष

मिड डे मील योजना के ठेकाकरण के खिलाफ हरियाणा मिड डे मील वर्कर्स यूनियन ने 17 मई को प्रदेश के 20 जिलों से 17 जिलों में घेराव का कार्यक्रम आयोजित किया। इस रोज सभी जिला मुख्यालयों पर वर्कर्स ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए जुलूस निकाले। अधिकतर जगहों पर जिला कलैक्टर अपने कार्यालयों में नहीं मिले। इस कार्यक्रम के आह्वान की विशेषता यह थी कि यह कामकाजी दिन पर आयोजित किया गया था, ताकि जिला कलैक्टर कार्यालय में हाजिर मिलें। मिड डे मील वर्कर दूर दराज के गांवों से दोपहर 1 बजे तक जिला मुख्यालय पर पहुंची थीं। सभी वर्कर्स बच्चों को दोपहर का भोजन देने के बाद ही इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचीं थीं। भयंकर गर्मी के बावजूद इस गर्मी में प्रदेशभर में 2500 के करीब वर्कर्स की हिस्सेदारी रही। इसी दिन यूनियन की राज्य कमेटी ने 13 जून को शिक्षा मंत्री के आवास पर मास डेप्युटेशन के कार्यक्रम की घोषणा की। अपने घोषित कार्यक्रम के तहत इस दिन प्रदेशभर से 800 के करीब वर्कर शिक्षा मंत्री के गृह क्षेत्र झज्जर पहुंचीं। मंत्री महोदया ने प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए बुलाया, परन्तु कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया, ज़िसके चलते मंत्री महोदया का घेराव का कार्यक्रम बनाया गया और 2 किलोमीटर दूर से जहां वर्कर्स की जनसभा चल रही थीं, जुलूस शुरू किया गया। मंत्री श्रीमती गीता भुक्कल का उसी रेस्ट हाउस में घेराव किया गया जहां वह प्रतिनिधिमंडल से मिली थीं। आखिर आंदोलन के दबाव में मंत्री महोदया को यूनियन के प्रतिनिधिमंडल को 22 जून को मंत्रालय में बातचीत के लिए आमंत्रित करना पड़ा। यही नहीं उन्हें बाहर आकर आंदोलनकारी वर्कर्स के बीच में इसकी घोषणा भी करना पड़ी। साथ ही उन्होंने वर्कर्स को यह भी भरोसा दिलाया कि उनके हितों की अनदेखी नहीं की जाएगी।

रिपोर्टः जयभगवान

भोपाल के गैस पीड़ितों के दुःखों की अंतहीन दास्तान

एम. के. पन्धे

विश्व की बदतरीन विनाश लीलाओं में से एक जिसने देखते ही देखते बीस हजार से अधिक लोगों के प्राण हर लिए और लाखों दूसरे लोगों को जीवन भर के लिए अपंग बना डाला था, 3 दिसम्बर 1984 को भोपाल में हुई थी। पूरी दुनिया को इस भयानक त्रास्दी को देख–सुन कर गहरा सदमा पहुंचा था किन्तु उस समय जो लोग सत्ता में थे वे केवल इस जघन्य अपराध अथवा विनाषलीला के खलनायक वारन एंडरसन की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे – जब वह 7 दिसम्बर, 1984 को भोपाल आया उसे गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ घण्टों के भीतर उसे न केवल रिहा किया गया बल्कि भोपाल हवाई अड्डे से मुख्य मंत्री के विशेष वायु यान के द्वारा दिल्ली भेज दिया गया। इस तरह उस वक्त के सैक्योरिटी स्टाफ ने एंडरसन की सुरक्षा का यही सम्मानजनक समाधान निकाला था। दो दिनों के भीतर उन्हें सुरक्षा बलों की भारी सुरक्षा के बीच अमरीका चले जाने की अनुमति दे दी गई और वह भी भारत के राष्ट्रपति और गृह मंत्री के साथ उनकी मुलाकात होने के बाद। उस समय केन्द्र तथा राज्य दोनों जगह कांग्रेस की सरकारें थीं। भोपाल संयंत्र में किस तरह सुरक्षा एवं संरक्षा के नियमों को ठेंगा दिखाया गया था या दिखाया जा रहा था, उस पर इन दोनों सरकारों ने किसी तरह की अपनी चिंता भावना का परिचय नहीं दिया। उस संयंत्र से हजारों टन प्राण घातक मिथाइल–इसो–साइनाईड गैस का स्राव होने से कांग्रेस सरकार के लिए शांति एवं कानून व्यवस्था की समस्या पैदा नहीं हुई। रात के अंधेरे में रेल गाड़ियों में यात्रा करने वाले कई हजार यात्री जिनमें महिलाएं, पुरुष तथा बच्चे सभी शामिल थे, गहरी नींद में थे और भोपाल से गुजरते समय सांस लेते वक्त यह जहरीली गैस उनके शरीरों में चली गई, इसकी पीड़ा वे कई वर्षों तक सहन करते रहे। तथापि सरकार ने कभी उनकी समस्याओं पर ध्यान देने की जरूरत को महसूस नहीं किया। भारत सरकार की एकमात्र चिंता यही थी कि किस प्रकार वर्ष के इस सबसे अधिक दुर्दांत अपराधी की सुरक्षित वापसी (अमरीका के लिए) को यकीनी बनाए।

दुर्दांत अपराधी की सम्मानजनक वापसी

जो लोग एंडरसन को देश में लाकर उस पर मुकद्दमा चलाने की बड़ी–बड़ी बातें करते हैं, उनके पाखण्ड की पोल खुल चुकी है क्योंकि यही वे लोग थे जिन्होंने उसे बाइज्जत भारत छोड़ कर चले जाने की इजाजत दी थी। भोपाल के लोगों के अकथनीय कष्टों की अनदेखी की जा सकती थी किन्तु बहुराष्ट्रीय कम्पनी के एक प्रतिनिधि के मामले में टकराव मोल नहीं लिया जा सकता था और वह भी उस हालत में जब मामला एक अमरीकी बहुराष्ट्रीय कम्पनी के साथ जुड़ा हो। कानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने अदालती निर्णय पर निष्पक्ष टिप्पणी करते हुए स्वीकार किया कि 26 वर्षों के बाद सुनाया गया न्यायिक निर्णय एक बड़ी ट्रक दुर्घटना के मामले में दिए गए निर्णय जैसा है। इसे सही में न्याय के नाम पर मजाक कहा जा सकता है। एक चौथाई शताब्दी के बाद इसके मुख्य अभियुक्त वारन एंडरसन के प्रत्यार्पण की मांग पूरी नहीं हो सकेगी। इस मामले में की जा रही टिप्पणियां लोगों की आंखों में धूल झोंकने के अलावा कुछ नहीं है।

उच्चतम न्यायालय ने अभियोग पत्र में से धारा 302 को निकाल दिया था और केवल धारा 304 लागू होने योग्य बनाया गया जबकि यह धारा आम तौर पर सड़क दुर्घटनाओं के मामले में लगाई जाती है। उच्चतम न्यायालय के जिस जज ने यह अनुकम्पा की थी वह यूनियन कार्बाइड द्वारा संचालित अस्पताल परिसर के चेयरमैन थे। अतः यह स्पष्ट रूप में न्यायिक अनौचित्य का मामला है किन्तु केन्द्रीय कानून मंत्रालय ने कभी इस मामले में दखल नहीं दिया।

डाऊ केमिकल को गैस त्रासदी के पीड़ित लोगों के पुनर्वास के लिए उसकी देनदारी से बचने का मौका दिया गया। डाऊ केमिकल के वकील ए सिंघवी कांग्रेस के प्रमुख नेता हैं। यह तथ्य इस अमरीकी बहुराष्ट्रीय कम्पनी के साथ सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधियों की नजदीकियों को दर्शाता है। प्राप्त समाचारों के अनुसार मध्य प्रदेश की तत्कालीन अर्जुन सिंह सरकार के कई मंत्रियों ने यूनियन कार्बाइड के खर्चे पर विदेश यात्राएं की थीं। यहां तक कि विदेश में अर्जुन सिंह की पत्नी के इलाज का पूरा खर्चा यूनियन कार्बाइड ने किया था। राजनीतिक दलों के अनेक संसद सदस्यों के निकट सम्बन्धियों को यूनियन कार्बाइड में प्रतिष्ठित पदों पर लगाया गया था। यूनियन कार्बाइड प्रबंधन को बचाने के

पीछे कांग्रेस पार्टी के निहित स्वार्थ काम कर रहे थे, ये सभी बातें इसी तथ्य को रेखांकित करती हैं।

अमरीका के कहने पर रिहा किया गया

सीआइए के उन दस्तावेजों जो अब गोपनीय नहीं रहे हैं, में स्वीकार किया गया है कि राजीव गांधी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने वारन एंडरसन को रिहा करने और अमरीका भेजने में बहुत तत्परता दिखाई थी। कांग्रेस हाई कमान के दबाव में आकर दिगविजय सिंह भले ही अपनी बात से पलट गए हों, किन्तु इससे यह जरूर प्रतिबिम्बित होता है कि भारत सरकार ने इस पूरे मामले को कितना हल्के में लिया था। यह तथ्य अपनी जगह बना हुआ है कि एंडरसन को कांग्रेस सरकार ने रिहा किया था और उसे बाइज्जत अमरीका भेज दिया गया। यह सब अमरीका सरकार के दबाव में हुआ था। प्रधानमंत्री कार्यालय में उस समय के विशेष सचिव पी.सी अलेग्जांडर ने कहा था कि अमरीकी सरकार का दबाव के कारण ही एंडरसन की रिहाई हुई और उसे अमरीका भेजा गया। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं ने अमरीकी दबाव से इन्कार करने की जितनी भी कोशिशें की हैं, उनसे लोग यह समझ गए हैं कि अमरीकी सरकार के दबाव में ही हजारों निर्दोष लोगों के संहार के लिए जिम्मेदार अपराधी को मुक्त किया गया था।

गैस त्रासदी के पीड़ितों जो अब तक जीवित हैं, को समुचित चिकित्सा सहायता प्रदान नहीं की जा रही। उनके इलाज के लिए खोले गए विशेष अस्पतालों में उन्हें केवल दवा लिख दी जाती है दी नहीं जाती, इन गरीबों के पास इतना पैसा कहां जो वे डाक्टर की लिखी दवा खरीद सकें। अनेक पीड़ित निजी प्रेक्टिस चलाने वाले डाक्टरों के पास जाते हैं ताकि वे अपनी बीमारी का इलाज करा सकें। डाक्टरी इलाज के अभाव में कई लोग तो यूं ही दम तोड़ चुके हैं। जहरीली गैस के स्राव से मरने वाले लोगों की असल संख्या उससे कहीं अधिक है जिसका हवाला सरकार के आंकड़ों में दिया जा रहा है।

इस जघन्य गैस त्रासदी को हुए एक चौथाई शताब्दी से अधि
क समय हो चुका है किन्तु अब भी कारखाने के निकटवर्ती इलाकों का पानी जहरीला है और यह पानी पीने के योग्य नहीं है। इस पानी को पीने से अनेक लोग बीमार हो चुके हैं और विडम्बना तो यह है कि इन लोगों को गैस कांड के पीड़ित ही नहीं माना जाता।

भारत में मानवीय जीवन का कोई मोल नहीं है। कम से कम भारत सरकार और उच्चतम न्यायालय तो यही सोचता है। पीड़ितों को पहले अधिक मुआवजा दिया जा रहा था किन्तु बाद में उसे कम करके केवल 500 डालर कर दिया गया। मुआवजे की राशि को हास्यास्पद सीमा तक कम करके गैस त्रासदी के पीड़ितों को राहत देने की बजाए यूनियन कार्बाइड को राहत दी जा रही है। पीड़ितों की एक छोटी श्रेणी को मामूली राहत दी जा रही है। इस तरह मुआवजे की अवधारणा को ही मजाक का विषय बना दिया गया है। गैस त्रासदी के कारण जिन लोगों पर गहरा दुष्प्रभाव पड़ा था, उनमें से अनेक लोगों कैसे बताएं कि उनकी यह हालत इस त्रासदी के कारण हुई है क्योंकि इसे सिद्ध कर पाना उनके लिए सम्भव नहीं है। सरकार द्वारा बनाए गए कानून बहुत सख्त हैं और वे केवल यूनियन कार्बाइड का पक्ष लेते हैं।

कांग्रेस तथा एनडीए सरकारों का नर्म रुख

भाजपा नेता इस भयानक गैस त्रासदी पर नर्म रुख अपनाने के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना कर रहे हैं। किन्तु जब पूरे समय तक सरकार में रहे तब उन्होंने एंडरसन के प्रत्यार्पण और उस पर अदालत में मुकद्दमा चलाने के लिए कोई गम्भीर प्रयास नहीं किया। जब अमरीकी सरकार ने एंडरसन के प्रत्यार्पण से इन्कार किया तब उन्होंने अमरीका के दावे को मान लिया और वे एंडरसन के प्रत्यार्पण के लिए गम्भीर दावा करने में भी नाकाम रहे थे। एनडीए के शासन काल के दौरान सीबीआइ ने यूनियन कार्बाइड के हितों की रक्षा करने की नीति को आगे बढ़ाया था। मध
य प्रदेश में भाजपा सरकार गैस त्रासदी के पीड़ितों को पर्याप्त चिकित्सा सहायता प्रदान करने में विफल रही है और न ही उसकी ओर से पीड़ितों के पुनर्वास के लिए कोशिशें की गई हैं। अब भाजपा के नेता मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं; वे अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने की कोषिषों में लगे हैं क्योंकि एनडीए सरकार के सत्ता में रहते समय वे गैस पीड़ितों के साथ किसी तरह का न्याय नहीं कर सके थे।

यूपीए सरकार नें नाभिकीय देनदारी विधेयक, नाभिकीय उपकरणों की आपूर्ति करने वाले विदेशी प्रदायकों को नाभिकीय दुर्घटना होने की स्थिति में देनदारियों से मुक्त करता है, को संसद में पारित कराने के लिए घटिया किस्म की हड़बड़ी से काम लिया। मनमोहन सिंह सरकार ने अमरीकी साम्राज्यवादियों से इसका वादा किया था, इसी वादे को पूरा करने के लिए यह विधेयक संसद में पारित कराया गया है।

देश भर में इस विषय पर एक सप्ताह तक गर्मा गर्म बहस चलने के बाद प्रधान मंत्री एकाएक जागकर गृह मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह का गठन करते हैं; पूरे प्रकरण की जांच करने और दस दिन में गैस कांड पर रिपोर्ट देने का फरमान भी सुना देते हैं। यह फरमान लिखित में नहीं दिया गया। शायद इसलिए कि उसमें कहीं भारत के पूर्व प्रधान मंत्री का नाम न आ जाए जो इसके लिए प्रमुख तौर पर दोषी थे। तथापि कोई भी व्यक्ति यह पूछ सकता है कि क्या एंडरसन जैसे अपराधी को धानमंत्री की जानकरी के बिना देश से बाइज्जत चले जाने की अनुमति दी?

भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों ने जो कष्ट झेले हैं इतिहास में उसकी दूसरी मिसाल ही देखने–सुनने को नहीं मिलती। अपराध
ी को सजा ही न दी जाए और वह खुले आम घूमता रहे। और अब इस भीषण एवं भयानक जन संहार पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है; यह एक ऐसा नर संहार है जो विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनी ने किया था, इसकी मिसाल भी कहीं देखने को नहीं मिलेगी। □

सीआइटीयू के 40 वर्ष और हमारे आगामी कार्य

ए के पद्मनाभन

सीआइटीयू 30 मई, 2010 को अपने जीवन काल के चालीस वर्ष पूरे करने जा रहा है – उसके जीवन काल की यह पूरी अवधि उसके द्वारा चलाए गए अत्यंत शानदार संघर्षों की अवधि रही है; उसने श्रमिक वर्ग की एकता के लिए काम किया है और संघर्ष के फलस्वरूप उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त करने का श्रेय भी उसे हासिल है। कोई भी व्यक्ति जो इस अवधि के दौरान सीआइटीयू के कामों से जुड़ा रहा है, वह निश्चित रूप से सीआइटीयू के सदस्यों, कार्यकर्ताओं तथा नेताओं द्वारा न केवल भारत के श्रमिक वर्ग के हितों एवं अधिकारों की रक्षा अपितु देश की एकता एवं अखण्डता की रक्षा करने के लिए दिए गए असीम बलिदानों पर गर्व कर सकता है। सीआइटीयू अपने स्थापना सम्मेलन से ही सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रीयतावाद के झण्डे को बुलंद रखने वालों में सबसे आगे रहा है।

स्थापना की पृश्ठभूमि

जिस साथी ने 28 मई से लेकर 31 मई, 1970 को कोलकाता में आयोजित सीआइटीयू के स्थापना सम्मेलन में भाग लिया है, वह आज भी उस सम्मेलन की कार्रवाई, उसमें लिए गए निर्णयों तथा उनके लिए की गई लामबंदी का स्मरण करते हुए आनंद का अनुभव कर रहा होगा। इसी सम्मेलन में 30 मई को सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स (सीटू) की स्थापना करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया था। यह एक नया ट्रेड यूनियन संगठन था और इसका गठन करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। इस सम्मेलन का आयोजन करने का निर्णय अचानक नहीं लिया गया था और न ही यह कुछेक नेताओं या व्यक्तियों का निर्णय था। यह बात अब इतिहास का विषय बन चुकी है। किस तरह एटक के भीतर 1960 के दशक के शुरूआती दिनों से ही विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर जिनका सामना देश के मेहनतकश अवाम को करना पड़ रहा है, एक गम्भीर संघर्ष चला था और यह संघर्ष निरंतर जारी रहा था–यह संघर्ष वेतनों, महंगाई भत्ते तथा बोनस जैसे प्राथमिक मुद्दों से लेकर विचारधारक एवं राजनीतिक मुद्दों के लिए चला था जिनमें सरकार की ओर हमारे रुख का प्रश्न भी शामिल था।

इसी अवधि में नेतृत्व का वह हिस्सा जिसका एटक पर पूरा बर्चस्व था, विभिन्न नए नारों की वकालत करता था जिनमें दो खम्भों वाली नीति तथा मनमानी व्याख्याएं करता था। उन दिनों एटक के नेतृत्व ने त्रिपक्षीय निकायों और बातचीत की मेजों पर सरकार और यहां तक कि सेवायोजकों की कई कार्रवाईयों का आंखें मूंद कर समर्थन किया। उस समय यही कुछ हो रहा था जबकि "श्रमिक वर्ग सेवायोजकों तथा सरकार की ओर से निरंतर उग्र हमले किए जा रहे थे और मजदूर उन हमलों की मार झेल रहे थे। कुल उत्पादन तथा उत्पादकता में बढ़ोतरी होने पर भी उनके सामान्य वेतनों में निरंतर गिरावट आ रही थी।" (कामरेड पी राममूर्ति की रिपोर्ट में से)।

भारत का आर्थिक संकट गहरा हो रहा था और मजदूरों पर हमले लगातार हो रहे थे। देश के सभी भागों में इसके खिलाफ संघर्ष चल रहे थे और उन संघर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के कामगार भाग ले रहे थे। राष्ट्रीय स्तर पर सत्ताधारी कांग्रेस जनता से अधिकाधिक अलग–थलग पड़ रही थी महंगाई तथा खाद्य पदार्थों की कमी के खिलाफ लोगों की विभिन्न श्रेणियां जुझारू संघर्ष कर रही थीं। कांग्रेस के प्रति हमारा क्या रुख हो? इस प्रश्न पर राजनीतिक मंचों पर गर्मा गर्म बहसें हो रही थीं।

विभिन्न राज्यों के घटनाक्रम के परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति पैदा हुई जिसके कारण 1967 में कांग्रेस को आठ राज्यों में पराजय का मुंह देखना पड़ा। पश्चिम बंगाल तथा केरल में वाम मोर्चा के नेतृत्व में और दूसरे राज्यों में जन संघ तथा स्वतंत्र पार्टी जैसे दक्षिण पंथी दलों और तमिलनाडु में डीएमके के नेतृत्व में बनी गैर कांग्रेसी सरकारों का गठन हुआ। श्रमिक वर्ग सहित जनता की विभिन्न श्रेणियों को इन सरकारों पर भारी आशाएं थीं। जनता की समस्याओं के प्रति इन गैर कांग्रेसी राज्य सरकारों के रुख व दृष्टिकोणों में साफ अंतर दिखाई देने लगा था। यही वह समय था जब 1968 के सितम्बर मास में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का संघर्ष हुआ। उस समय केन्द्रीय सरकार ने अपने ही कर्मचारियों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी और देश की राजधानी तथा दूसरे क्षेत्रों में कर्मचारियों के खून से हाथ रंगे गए। ठीक उसी समय वाम मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकारों ने कर्मचारियों के पक्ष जोरदार स्टैंड लिया और उन्होंने भारत सरकार के दबाव में आने से इन्कार कर दिया।

लेकिन दूसरे राज्यों में पहले की तरह मालिकों तथा मजदूर विरोध राजनीतिक दलों की ही तूती बोलती थी और संघर्ष करने वाले मजदूरों का भयानक दमन किया जाता था।

किन्तु दुर्भाग्य का विषय है कि इस तरह की स्थितियां पैदा होने पर भी एटक नेतृत्व ने आगे बढ़ कर मजदूरों के संघर्ष का नेतृत्व करने की जरूरत महसूस नहीं की। देश भर में संघर्ष बढ़ रहे थे पर एटक का नेतृत्व उनमें भाग लेने के लिए तैयार नहीं था।

नेतृत्व ने वर्ग संघर्ष के रास्ते का त्याग कर दिया और वर्ग सहयोग के झण्डे को कस कर पकड़ लिया। उसकी इन्हीं गलत नीतियों के खिलाफ राष्ट्रीय एवं राज्य दोनों स्तरों पर नेतृत्व के एक भाग ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और नेतृत्व में बदलाव लाने की मांग की। उसने संगठन की जनवादी कार्य प्रणाली का पालन करने पर जोर दिया।

''वाम पंथियों'' के तथाकथित अल्प संख्यक ग्रुप ने काबिज धड़े की नीतियों को बदलने के लिए जो प्रयास किए वे अब इतिहास का विषय बन चुके हैं। मुम्बई में 1966 में आयोजित एटक सम्मेलन से ही इस दिशा में अथक प्रयास किए जाने लगे थे और स्थिति में बदलाव लाने के लिए अनेक सुझाव भी दिए गए। यहां तक कि सम्मेलनों में एकजुट होकर काम करने के लिए जो प्रस्ताव पारित किए गए उनकी भी अनदेखी की गई।

इन्हीं परिस्थितियों में 150 प्रमुख ट्रेड यूनियन नेताओं व कार्यकर्ताओं, एटक कार्य समिति तथा जनरल कौंसिल के सदस्यों और राज्य कार्यकारणियों व कौंसिलों के सदस्यों की एक बैठक 8–9 अप्रैल 1970 को गोआ में हुई। यह बैठक उन नेताओं की थी जिन्होंने जुझारू संघर्ष चलाए थे और जो विभिन्न यूनियनों के नेता थे और जिन्होंने श्रमिक आंदोलन का निर्माण करने में सहायता दी थी। इस बैठक में महसूस किया गया कि एटक के बीच रह कर उनके लिए काम करना सम्भव नहीं है इसलिए उन्होंने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन सम्मेलन का आयोजन करने और एक नए राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन केन्द्र के निर्माण की सिफारिश करने का निर्णय लिया।

लेनिन नगर सम्मेलन

क्योंकि उस समय व्लादिमिर इलिच लेनिन की जन्म शताब्दी का वर्ष चल रहा था इसलिए अखिल भारतीय सम्मेलन स्थल का नाम लेनिन नगर रखा गया और पश्चिम बंगाल में श्रमिक आंदोलन के बरिष्ठ नेता कामरेड कृष्णपद घोष की ओर से लाल झण्डा फहराया गया। कामरेड ज्योति बसु स्वागत समिति के अध्यक्ष थे।

भारत के श्रमिक वर्ग के राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय कार्यों पर जोर देते हुए उन्होंने एक ऐसे ट्रेड यूनियन संगठन की स्थापना करने पर बल दिया जो वास्तव में जनवादी हो, क्रांतिकारी हो और जो जुझारू आर्थिक संघर्षों में मजदूरों का नेतृत्व करे और उन्हें राज सत्ता पर काबिज होने के लिए तैयार करे और जो दुनिया के सभी भागों में चलने वाले साम्राज्यवाद विरोधी संघर्षों के लिए लामबंद करे।

एकता और संघर्श

कामरेड पी राममूर्ति ने सम्मेलन में अपनी रिपोर्ट पेश की। उन्होंने विस्तार में बताया कि किस तरह इस सम्मेलन के आयोजकों ने एटक में समुचित कार्य प्रणाली को सुनिश्चित बनाने के लिए अथक प्रयास किए थे। रिपोर्ट में देश के विभिन्न भागों में इस अवधि में चलाए गए सफल एवं जुझारू संघर्षों का विवरण दिया गया और पश्चिम बंगाल तथा केरल में यूनियनों द्वारा निभाई गई अग्रणी भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया। कामरेड पी राममूर्ति ने वाम मोर्चा सरकारों जिन्हें केन्द्र सरकार ने अपदस्थ कर दिया है, की ओर से की गई जन पक्षीय एवं मजदूर पक्षीय पहलकदमियों के बारे में बताया। यह सम्मेलन उस समय हो रहा है जब इन दोनों राज्यों में घोर दमनकारी कार्रवाईयां हो रही हैं।

उन्होंने ट्रेड यूनियनों में विचारधारत्मक स्पष्टता लाने के महत्व को भी रेखांकित किया। रिपोर्ट में कहा गया – ''समाजवाद श्रमिक आंदोलन का घोषित लक्ष्य है। यदि श्रमिक आंदोलन यह भूल जाता है कि उसका मुख्य संघर्ष समाज व्यवस्था – सामंतों और पूंजीपतियों की भूमिका के खिलाफ है, तो वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में आगे नहीं बढ़ सकेगा। उसे साम्राज्यवादियों और प्रमुख तौर पर अमरीकी साम्राज्यवादियों पर अपना निशाना साधना चाहिए जो हमारी जनता को गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उन पर अपने नव–औपनिवेशक दासत्व को थोप रहे हैं; उसे (श्रमिक आंदोलन को) इजारेदारों तथा जगीरदारों पर निशाना साधना चाहिए जो उत्पादन के प्रमुख साधनों पर कब्जा किए हुए हैं। मजदूर वर्ग का रोजमर्रा का संघर्ष इसी सामान्य संघर्ष का हिस्सा है।''

राज्यों से रिपोर्ट

पंजाब : राज्य भर में प्रदर्शन

आंगनवाडी मुलाजम युनियन की ओर से 19 मई को राज्य कमेटी की मीटिंग की गई जिसमें ब्लाक स्तर पर प्रदर्शन करके पुतला जलाने का फैसला किया गया। यह प्रदर्शन 4 जून से लेकर 15 जून तक किये गये इसमें 18 जिलों ने भाग लिया स्थानीय मुददो पर चर्चा विस्तार से की गई। इस प्रदर्शन में लोगों में बहुत उत्साह देखने को मिला। इस में लगभग 12000 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। प्रदर्शन के दौरान पंजाब सरकार का पुतला जलाया गया और दो घण्टों का जाम लगाया गया। राज्यभर में जोर– शोर से 9 जुलाई की हड़ताल की तैयारियां जारी हैं।

रिपोर्टः उषा रानी,

राजस्थानः चितौड़गढ़ जिला सम्मेलन

राजस्थान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका यूनियन सीआइटीयू चितौड़गढ़ का पहला जिला सम्मेलन 28 जून 2010 को कामरेड ज्योति बसु नगर, जांगिड धर्मशाला, चितौड़गढ़ में कामरेड भंवर लाल की अध्यक्षता में हुआ।
सम्मेलन का उदघाटन कामरेड हज़ारी लाल शर्मा, राजस्थान आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष ने किया। अपने उदघाटन भाषण में उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उनकी विभिन्न परिस्थिति को विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि सारी जिम्मेदारी निभाते हुए महिलाएं आंगनवाड़ी में जिम्मेदारी से काम कर रही हैं। लेकिन सरकार इनके प्रति नकारात्मक रवैया अपनाए हुए है। सम्मेलन की मुख्स वक्ता राजस्थान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका यूनियन (सीटू) की प्रदेश महासचिव सुशीला कवंर तेगावास ने संबोधित करते हुए 4 व 5 मई 2010 को दिल्ली में हुए आंगनवाड़ी कर्मचारियों के दो दिवसीय महापड़ाव पर प्रकाश डालते हुए बताया कि भारत के विभिन्न राज्यों से 20 हजार आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने पड़ाव में भाग लिया जिसमें राजस्थान से 371 महिलाओं ने भाग लिया। 5 मई को वार्ता में आंगनवाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने, पेंशन व ग्रेच्युटी सहित सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ उपलब्ध कराने का प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया था। लेकिन कोई वादा पूरा नही होने के कारण 9 जुलाई को देशभर में हड़ताल का निर्णय लिया गया।
सम्मेलन में गीता देवी ने सचिव की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें बहस में इन्द्र कवंर, प्रेम देवी, गीता देवी, पुष्पा देवी एवं कमला देवी ने भाग लिया। तथा एक नई कमेटी गठित की गई।

रिपोर्टः हज़ारी लाल शर्मा

हिमाचल प्रदेशः एक दिवसीय हड़ताल

आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हैल्पर्स यूनियन, हिमाचल प्रदेश, द्वारा 2 जून को हिमाचल प्रदेश में हड़ताल आयोजित की गई। राज्य के 12 जिलों में से लगभग 11 जिलों ने इस हड़ताल में भाग लिया। सभी 11 जिलों में इस दिन परियोजना व जिला स्तरीय प्रदर्शन आयोजित किए गए। आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने रास्ता रोको कार्यवाहियों को अंजाम दिया और स्थानीय प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आंगनवाड़ी कर्मचारियों की मुख्य मांगें थीं – नियमितिकरण, मानदेय में बढ़ोतरी, सुपरवाइज़र कोटे में 90 प्रतिशत की बढ़ोतरी आदि

उनका कहना था कि राज्य सरकार ने दिहाड़ी मजदूरों की मजदूरी 75 रू से बढ़ाकर 110 रू कर दी है। परन्तु सरकार आईसीडीएस की सबसे महत्वपूर्ण इकाई, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताइों व सहायिकाओं के प्रति अड़ियल रवैया अपनाए हुए है। न ही केंद्र और न ही राज्य सरकारें आंगनवाड़ी कर्मचारियों को मानदेय वृद्धि, ग्रेच्युटी सहित सामाजिक सुरक्षा लाभ तथा मानदेय वृद्धि उपलब्ध करा रही हैं। जिला व परियोजना स्तरों पर हुए प्रदर्शनों को जिला व परियोजना स्तरीय आंगनवाड़ी नेताओं तथा सीआइटीयू नेताआसें ने संबोधित किया।

रिपोर्टः सरोज शर्मा

www.aifawh.org
आंगनवाड़ी कर्मचारियों की वेबसाइट का आरम्भ

अखिल भारतीय आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका फैडरे□न (आइफा) द्वारा समाज को आंगनवाड़ी कर्मचारियों की समस्याओं, मांगें, आंगनवाड़ी कर्मचारियों के संघर्ष, आंदोलन, अभियान आइफा की गतिविधियां, आदि के बारे में अवगत कराने के लिए वेबसाइट **www.aifawh.org** खोली गई है। वेबसाइट को और भी लाभप्रद बनाने के लिए अपने सुझाव aifawh@gmail.com पर भेजें।

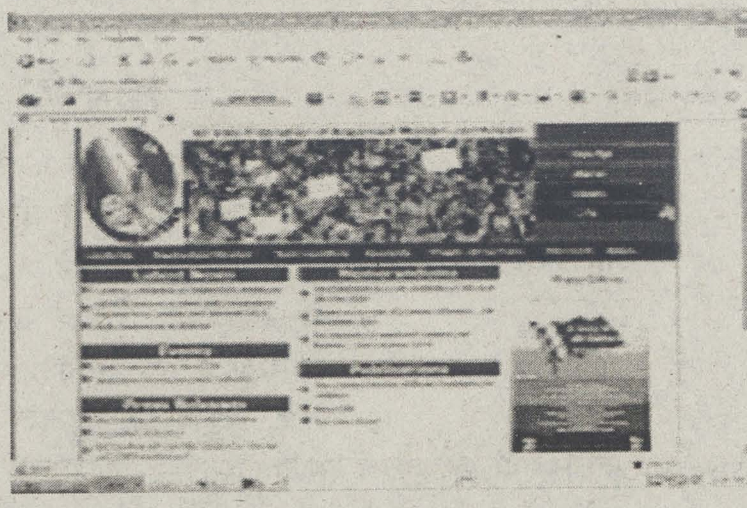

पेट्रोल, डीज़ल, रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का विरोध करो

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की मांगें

■ उपयुक्त कदम उठा कर और सार्वभौमिक वितरण व्यवस्था करके अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं के दामों को बढ़ने से रोको; उपभोक्ता वस्तुओं के बाजार में सट्टाबाजारी पर अंकुश लगाओ।

■ मंदी से प्रभावित सेक्टरों में सम्बन्धित उपक्रमों को Stimulus (उत्प्रेरक) पैकेज देने के साथ–साथ रोजगार को बचाने के लिए ठोस कदम उठाओ।

■ बिना किसी छूट और अपवाद के सभी बुनियादी श्रम कानूनों को सख्ती से लागू करना यकीनी बनाओ और श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर दण्डात्मक कार्रवाई करो।

■ असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अन्तर्गत चलने वाली योजनाओं के पात्रता के दायरे के मामले में गरीबी रेखा पर आधारित सभी प्रतिबंधात्मक प्रावधानों को समाप्त करने के लिए कदम उठाओ और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले सभी मजदूरों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर फ्लोर लेवल सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कोष बनाओ।

■ सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों के शेयरों का विनिवेश रोको; इसकी बजाए उनका आधुनिकीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र के बीमार उपक्रमों का पुनरुद्धार करने के उद्देश्य से उनके बढ़ते आरक्षित कोष तथा अतिरिक्त धन का उपयोग करो।

9 जुलाई आंगनवाड़ी कर्मचारियों की अखिल भारतीय हड़ताल की मांगें

■ पेंशन दो

60 साल में वेतन के आधे हिस्से के बराबर

■ ग्रेच्युटी दो

आंगनवाड़ी सेविकाओं को रू एक लाख और सहायिकाओं को रू पचास हज़ार

■ मानदेय तुरंत बढ़ाओ

सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं का

■ न्यूनतम वेतन दो

आंगनवाड़ी सेविकाओं को कुशल श्रमिक व सहायिकाओं को अर्धकुशल श्रमिक के बराबर

■ नियमित करो

सेविकाओं को ग्रेड 3 व सहायिकाओं को ग्रेड 4 के कर्मचारियों के रूप में

■ आईसीडीएस का निजीकरण बंद करो

के हेमलता द्वारा, अखिल भारतीय कामगार महिला समन्वय समिति (सीटू) के लिए, ए–13, राउस ऐवेन्यू, नई दिल्ली से संपादित एवं प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए–21, झिलमिल इंडस्टीयल एरिया, जी टी रोड, शाहदरा दिल्ली–95 से मुद्रित